

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**M.A. NO. 88 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 651 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

Krishna Nand Yadav

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.... Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on Behalf of the Respondent no.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 17.02.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.	1-4
2.	ANNEXURE R2/1: The copies of the letter dated 21.02.2025	5-9
3.	ANNEXURE R2/2: The copy of the closure orders dated 05.03.2025 and compliance reports dated 06.03.2025	10-24
4.	ANNEXURE R2/3: The copy of the letter dated 07.03.2025	25
5.	ANNEXURE R2/4: The copies of the said letters dated 04.04.2025	26-31

148

THROUGH

DATE: 15.04.2024

PLACE: NEW DELHI




**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH- 201303**

(M): 9711116034

(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 88 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 651 OF 2023



IN THE MATTER OF:

Krishna Nand Yadav

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondent(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE
TO THE ORDER DATED 17.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI.**

I, Sanjeev Kumar Singh, aged about 38 years, S/o Lal Sahab Singh presently posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"), do hereby solemnly affirm and state on oath as under:



1. That in my official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That vide its order dated 17.02.2025 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) has directed the UPPCB to ensure that no brick kiln in Eco Sensitive Zone (ESZ) operates in violation of the laws and disclose

sk

the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area in the next fresh affidavit.

3. That the brick kilns which were found in the Eco-sensitive Zone are tabulated below:

S.No.	Name and Address of Brick Kilns	Respondent in this OA
1.	M/s SK Ent Udyog, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-6
2.	M/s SP and Sons Ent Bhatta, Barsari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-7
3.	M/s GM Gramoudhyog, Jajiyapur, Meritand, Ballia.	Respondent No-8
4.	M/s Sarvajeet Ent Bhatta, Barsari, Beruarbari, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-9
5.	M/s Vishal Ent Udyog, Sidhauli, Kaithauli, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-10
6.	M/s US Enterprises, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-11
7.	M/s Ghanshyam Singh Ent Bhatta, Sahodeeh, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-12
8.	M/s Kashinath Yadav Ent Bhatta, Bakhauta, Barsari, Bansdeeh, Ballia.	Respondent No-13

4. That in compliance to the order passed by this Hon'ble Tribunal, the Regional Office of UPPCB, Azamgarh vide its letter dated 21.02.2025 has revoked the Consent to Operate under Section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 of the brick kilns from Respondent No-6 to 10, as mentioned in the above table. The copies of the letter dated 21.02.2025 are collectively being attached herewith as **Annexure No.-R2/1.**



sk

5. That further, UPPCB vide letter dated 05.03.2025 has issued the Closure Order under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 of the brick kilns from Respondent No-6 to 10, as mentioned in the above table, subsequently the compliance of the said closures order dated 05.03.2025 has been complied on 06.03.2025 by the Joint Committee comprising officials of District Administration, Ballia, Mine Department, Ballia, Zila Panchayat, Ballia and Uttar Pradesh Pollution Control Board. The copy of the closure orders dated 05.03.2025 and compliance reports dated 06.03.2025 are being collectively attached herewith as **Annexure No.-R2/2.**
6. That against the rest of the brick kilns from Respondent No-11 to 13 of the table, the UPPCB has issued closure orders under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended. The details of the same have been mentioned in the previous report dated 02.05.2024 filed by UPPCB which is already on record of this Hon'ble Tribunal.
7. That further, UPPCB vide letter dated 07.03.2025 has requested the SHO, Police Station- Bansdeeh, Ballia to instruct the concerned officer to undertake regular surveillance of the brick kilns (Respondent No-6 to 13) in question to ensure their continued closure. The copy of the letter dated 07.03.2025 is being annexed herewith as **Annexure No.-R2/3.**
8. That for the past violations, the UPPCB has issued a show cause notices on 14.02.2025 against the brick kiln being Respondent Nos. 11, 12 and 13, regarding imposition of an Environmental Compensation for operation of the brick kilns in question without



sk

having valid Consent to Operate and subsequently UPPCB vide letter dated 04.04.2025 has imposed the Environmental Compensation. The copies of the said letters dated 04.04.2025 are collectively being attached herewith as Annexure No.-R2/4.

- 9. That the Annexures produced along with the present Affidavit are true copies of their respective originals.
- 10. That the present Action Taken Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration.

sk

DEPONENT

VERIFICATION:

NOTARY

NOTARY

Verified at Ludhiana on this the 15th day of April, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

sk

DEPONENT



I know & identify the deponent/Executant who has signed/ put his T.L. before me

Sr. J. Iqbal Advocate
Reg No 6043/1999
H/TV LCO

Seen and Verified before me
15/4/25
NOOR JAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10942/18



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

क्षेत्रीय कार्यालय

सं.सं./Ref. 865/एएफ-314/2024-25

सेवा में,

दिनांक/Date 21-2-2025

मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग
अराजी सं0-68, बड़सरी, बांसडीह,
बलिया ।

27/2/25

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, अराजी सं0-68, बड़सरी, बांसडीह, बलिया को निर्गत जल/वायु सहमति रिवोक (खण्डित) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.

9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

अग्रेतर अवगत कराना है कि ईट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक-157361/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश के विशिष्ट शर्त सं0-03 का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् है-

Specific Conditions

".....3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में एवं सहमति जल/वायु आदेश के विशिष्ट शर्त सं0-3 के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, अराजी सं0-68, बड़सरी, बांसडीह, बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-157361/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू0पी0ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 868/एए-427/2024-25

दिनांक/Date 21-2-2025

सेवा में,

मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा
अराजी सं0-54, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह
बलिया।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा अराजी सं0-54, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया को निर्गत जल सहमति रिवोक (खण्डित) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.

9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

अग्रतर अवगत कराना है कि ईट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक-145630/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल सहमति आदेश के विशिष्ट शर्त सं0-03 का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् है-

Specific Conditions

".....3. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में एवं सहमति जल आदेश के विशिष्ट शर्त सं0-3 के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, अराजी सं0-54, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-145630/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से निर्गत जल सहमति को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू0पी0ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref..... 864/एए-233/2024-25

दिनांक/Date 21-2-2025

सेवा में,

मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा
अराजी सं०-74, जजियापार, मैरीटार,
बलिया ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा, अराजी सं०-74, जजियापार, मैरीटार, बलिया को निर्गत जल/वायु सहमति रिवोक (खण्डित) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

“.....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.

9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area.....”

अग्रेतर अवगत कराना है कि ईट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक-196230/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-06 का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् है-

Specific Conditions

“.....6. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में एवं सहमति जल/वायु आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-6 के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा, अराजी सं०-74, जजियापार, मैरीटार, बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-196230/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू०पी०ओ०सी०एम०एम०एस० की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref- 866/एएच-192/2024-25

दिनांक/Date 21-2-2025

सेवा में,

मेसर्स सर्वजीत ईट उद्योग
अराजी सं०-35, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह
बलिया।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में मेसर्स सर्वजीत ईट उद्योग अराजी सं०-35, बड़सरी, बरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया को निर्गत वायु सहमति रिवोक (खण्डित) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.

9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

अग्रतर अवगत कराना है कि ईट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक-120060/UPPCB/ Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से निर्गत सशर्त वायु सहमति आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-04 का संदर्भ लेना चाहिए, जो निम्नवत् है-

Specific Conditions

".....4. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time....."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में एवं सहमति वायु आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-4 के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स सर्वजीत ईट उद्योग, अराजी सं०-35, बड़सरी, बरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-120060/UPPCB/ Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से निर्गत वायु सहमति वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू०पी०ओ०सी०एम०एम०एस० की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 870/एएच-366/2024-25

दिनांक/Date 21-2-2025

सेवा में,

मेसर्स विशाल ईट भट्टा
अराजी सं०-98, 97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह,
बलिया।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं०-98, 97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया को निर्गत जल/वायु सहमति रिवोक (खण्डित) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को कतिपय आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

“.....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.

9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area.....”

अग्रेतर अवगत कराना है कि ईट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक-168659/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-06 का संदर्भ लेना चाहें, जो निम्नवत् है-

Specific Conditions

“.....6. Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम०ए० नं०-88/2024 इन ओ०ए० नं०-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में एवं सहमति जल/वायु आदेश के विशिष्ट शर्त सं०-6 के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं०-98, 97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-168659/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से निर्गत सशर्त जल/वायु सहमति आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक तत्काल रिवोक (खण्डित) किया जाता है।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सहमति आदेश को यू०पी०ओ०सी०एम०ए०एस० की वेबसाइट पर रिवोक कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक...../वृत्त-6/ईट भटठा/320/बन्दी/आजमगढ़/2025

दिनांक: 5-3-25
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग,
आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह,
जनपद-बलिया।
मो0-9450773005

यह कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-का.आ. 1315(आ) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण(सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या-4 के सुसंगत अंश निम्नलिखित है:-

4.पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जो (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं0	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं.2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

“.....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.....
.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area.....”

यह कि उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्रांक संख्या-865/सह0-314/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 157361/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से निर्गत संचालनार्थ सहमति जल/वायु आदेश को रिवोक (खण्डित) किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न रूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे कि मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी0 सं0 68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, बलिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, बलिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक...../वृत्त-6/ईट भट्टा/396/बन्दी/आजमगढ़/2025

दिनांक: 5-3-25
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा,
बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह,
जनपद-बलिया।
मो0- 9936087675

यह कि मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-का.आ. 1315(आ) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण(सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या-4 के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैं:-

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जो (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

“.....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.....
.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area.....”

यह कि उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्रांक संख्या-868/सह0-427/2024-25 दिनांक 21.02.2025 एवं पत्रांक संख्या-869/सह0-427/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-145630/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 31.12.2021 एवं 145628/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत संचालनार्थ सहमति जल/वायु आदेश को रिवोक (खण्डित) किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न रूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, बलिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, बलिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

**162**

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक...../वृत्त-6/ईट भटठा/363/बन्दी/आजमगढ़/2025

दिनांक: 5-3-25
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भटठा,
आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार,
जनपद-बलिया।

मो0- 2999996590

यह कि मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भटठा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-का.आ. 1315(आ) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण(सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के के कम संख्या-4 के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैं:-

4.पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जो (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं0	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संकियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं.2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.....
.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्रांक संख्या-864/सह0-233/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 196230/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO) /CTO/both/ BALLIA /2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से निर्गत संचालनार्थ सहमति जल/वायु आदेश को रिवोक (खण्डित) किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न रूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी0 सं0-74, जजियापार, मैरीटार, जनपद-बलिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, बलिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, बलिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक...../वृत्त-6/ईट भट्टा/395/बन्दी/आजमगढ़/2025

दिनांक: 5-3-25
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग,
बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह,
जनपद-बलिया।

मो- 9838076225

यह कि मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-का.आ. 1315(आ) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण(सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या-4 के सुसंगत अंश निम्नलिखित है:-

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जो (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

5-3-25
Email Sent

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.....
.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्रांक संख्या-867/सह0-192/2024-25 दिनांक 21.02.2025 एवं पत्रांक संख्या-866/सह0-192/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-120061/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/water/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 एवं 120060/UPPCB/Azamgarh (UPPCBRO)/CTO/air/BALLIA/2021 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से निर्गत संचालनार्थ सहमति जल/वायु आदेश को रिवोक (खण्डित) किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न रूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, बलिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, बलिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक...../वृत्त-6/ईट भट्टा/394/बन्दी/आजमगढ़/2025

दिनांक: 5-3-25
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स विशाल ईट भट्टा,
अराजी सं०-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह,
जनपद-बलिया।
मो०- 9643389452

यह कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं०-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-का.आ. 1315(आ) दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य के जय प्रकाश नारायण(सूरहाताल) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 01 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या-4 के सुसंगत अंश निम्नलिखित है:-

4.पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जो (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं.2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns.....
.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्रांक संख्या-870/सह0-366/2024-25 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक-168659/UPPCB/Azamgarh(UPPCBRO)/CTO/both/BALLIA/2022 दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से निर्गत संचालनार्थ सहमति जल/वायु आदेश को रिवोक (खण्डित) किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आजमगढ़ के पत्र दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टा कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न रूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे कि मेसर्स विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98,97, 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)





प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, बलिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, बलिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)


मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी सं0-68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 05.03.2025 की अनुपालन आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं0-एच.25138/वृत्त-6/ईट भट्टा/320/बन्दी/आजमगढ़/2025 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में आज दिनांक 06.03.2025 को मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी सं0-68, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन न करें।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक सिंह	नायब तहसीलदार बांसडीह बलिया	 06/03/25
2.	श्री जितेश कुमार	स्वानिरीक्षक बलिया	 06/03/2025
3.	ओ0 रच0 सिद्धीकी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उप0 प्र0 उद्योग निरीक्षण बोर्ड आजमगढ़	 6/3/2025
4.	श्री सुनील कुमार पादव	अनिरीक्षक जिला प्रशासन बलिया	 6-3-25
5.	नवीन कुमार	प्रयोगशाला सहायक उप0 प्र0 उद्योग निरीक्षण बोर्ड आजमगढ़	 6/3/2025
6.	-	-	-






मेरे द्वारा आज दिनांक 06/03/2025 को बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 प्राप्त किया गया। आज से मेरे द्वारा ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर


मेसर्स एस0के0 ईट उद्योग, आराजी
सं0-68, बड़सरी, बांसडीह,
जनपद-बलिया।

मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 05.03.2025 की अनुपालन आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं0-एच.25137/वृत्त-6/ईट भट्टा/396/बन्दी/आजमगढ़/2025 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में आज दिनांक 6/3/2025 को मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन न करें।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक सिंह	नायब तहसीलदार बांसडीह बलिया	
2.	श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	
3.	आंशु चं0 सिद्धीकी	सहायक वैज्ञानिक आयुर्वेद उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	
4.	श्री सुनील कुमार पादव	पर निरीक्षक जिला पंचायत बलिया	
5.	नवीन कुमार	प्रशिक्षण सहायक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	
6.	/	/	/





मेरे द्वारा आज दिनांक 6/3/2025 को बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 प्राप्त किया गया। आज से मेरे द्वारा ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

योगेन्द्र नाथ पादव - 06-03-25
मेसर्स एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा,
बड़सरी, साहोडीह, बांसडीह,
जनपद-बलिया।


मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी सं०-74, जजियापार मैरीटार, जनपद-बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 05.03.2025 की अनुपालन आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं०-एच.25135/वृत्त-6/ईट भट्टा/363/बन्दी/आजमगढ़/2025 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में आज दिनांक 6/3/2025 को मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा, आराजी सं०-74, जजियापार मैरीटार, जनपद-बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन न करें।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक सिंह	नायब तहसीलदार जासडीह बलिया	 06/03/25
2.	श्री जितेश कुमार	रवान निरीक्षक बलिया	 06/03/2025
3.	ओ०एच० सिद्धीकी	सहायक वृत्त निरीक्षक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश निकाश बाई आजमगढ़	 6/3/2025
4.	श्री पुनीत कुमार पादव	कर निरीक्षक जिला, पंचायत बलिया	 6-3-25
5.	नवीन कुमार	प्रशासकीय सहायक उत्तर प्रदेश निकाश नियंत्रण बाई आजमगढ़	 6/3/2025
6.	—	—	—






मेरे द्वारा आज दिनांक 6/3/2025 को बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 प्राप्त किया गया। आज से मेरे द्वारा ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर


6/03/2025
मेसर्स जी०एम० ग्रामोद्योग ईट भट्टा
आराजी सं०-74, जजियापार मैरीटार,
जनपद-बलिया।


मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 05.03.2025 की अनुपालन आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं०-एच.25134/वृत्त-6/ईट भट्टा/395/बन्दी/आजमगढ़/2025 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में आज दिनांक 6/3/2025 को मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन न करें।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपका सिंह	नापबलवट्टसीलडा बांसडीह बलिया	 06/03/25
2.	श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	 06/03/2025
3.	ओ० रच० सिद्धीका	सहायक वैज्ञानिक आयुक्त उ० प्र० प्र० सु० नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	 6/3/2025
4.	श्री सुनील कुमार यादव	क०२ नियंत्रक जिला प्र-पाप बलिया	 6-3-2025
5.	नवीन कुमार	प्रयोगशाला सहायक उ० प्र० प्र० सु० नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़	 6/3/2025
6.	—	—	—

मेरे द्वारा आज दिनांक 6/3/2025 को बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 प्राप्त किया गया। आज से मेरे द्वारा ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 का पूर्णतया पालन किया जायेगा।





हस्ताक्षर



मेसर्स सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग,
बड़सरी, बेरुआरबारी, साहोडीह, बांसडीह,
जनपद-बलिया।


मेसर्स विशाल ईट भट्टा, आराजी सं०-98,97,98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया को निर्गत बन्दी आदेश 05.03.2025 की अनुपालन आख्या।

मुख्यालय के पत्र सं०-एच.25136/वृत्त-6/ईट भट्टा/394/बन्दी/आजमगढ़/2025 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में आज दिनांक 6/3/2025 को मेसर्स विशाल ईट भट्टा, आराजी सं०-98,97,98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, जनपद-बलिया के संचालन को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में बन्द कराया गया। ईट भट्टा प्रतिनिधि/मालिक को निर्देशित किया गया कि बिना बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में ईट भट्टे का संचालन न करें।

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक सिंह	नायब तहसीलदार बांसडीह बलिया	 06/03/25
2.	श्री जितेश कुमार	खान निरीक्षक बलिया	 06/03/2025
3.	आ.एच. सिडरीकी	सहायक वैज्ञानिक आधिकारी उपग्रह प्रसंग निपत्रण कोड आजमगढ़	 6/3/2025
4.	श्री. सुनील कुमार पादव	कृषि विभाग गिमा पंचायत बलिया	 6-3-25
5.	नवीन कुमार	प्रयोगशाला सहायक उपग्रह प्रसंग निपत्रण कोड आजमगढ़	 6/3/2025
6.	-	-	-

मेरे द्वारा आज दिनांक 6/3/2025 को बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 प्राप्त किया गया। आज से मेरे द्वारा ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.03.2025 का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर


6/3/2025

मेसर्स विशाल ईट भट्टा, आराजी
सं०-98,97,98/381, सिधौली, कैथौली,
बांसडीह, जनपद-बलिया।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.आ. - 913/सुरहाताल/2024-25

दिनांक/Date 07/3/2025

सेवा में,

थानाध्यक्ष

थाना-बांसडीह

जनपद-बलिया।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के क्रम में बडसरी, बांसडीह, बलिया स्थित ईट भट्टों की सतत निगरानी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 नं0-88/2024 इन ओ0ए0 नं0-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुपालन में बडसरी, बांसडीह, बलिया स्थित जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी अभयारण्य के सम्बन्धनशील जोन के अन्तर्गत आच्छादित निम्नलिखित ईट भट्टों के संचालन को प्रशासन के सहयोग से बंद करा दिया गया।

- 1 मे0 घनश्याम सिंह ईट भट्टा, साहूडीह, बांसडीह, बलिया
- 2 मे0 यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बडसरी, बांसडीह, बलिया
- 3 मे0 काशीनाथ यादव ईट भट्टा (पूर्व नाम मेसर्स आर0एन0 ईट भट्टा), बडसरी, बांसडीह, बलिया
- 4 मे0 विशाल ईट भट्टा, अराजी सं0-98ए 97ए 98/381, सिधौली, कैथौली, बांसडीह, बलिया
- 5 मे0 जी0एम0 ग्रामोद्योग ईट भट्टा, अराजी सं0-74, जजियापार मैरीटार, बांसडीह, बलिया
- 6 मे0 एस0पी0 एण्ड सन्स ईट भट्टा, बडसरी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया
- 7 मे0 सर्वजीत ईट भट्टा उद्योग, बडसरी, बरुआरवारी, साहोडीह, बांसडीह, बलिया
- 8 मे0 एस0के0 ईट उद्योग, अराजी सं0-68, बडसरी, बांसडीह, बलिया

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में भविष्य में उक्त ईट भट्टे अवैध रूप से संचालित न हो इस हेतु सम्बन्धित को सतत निगरानी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय


(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...../वृत्त-6/ ईट भट्टा-374/का0ब0नो-ई0सी0 पुष्टि/बलिया/2024

Date..... 4-4-25

मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्टा,
ग्राम व पोस्ट-साहूडीह, बांसडीह,
जनपद-बलिया। (मो0-9450773980)

Annexure No-R2/4

यह कि मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्टा, ग्राम व पोस्ट-साहूडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns....."

".....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच. 24185/वृत्त-6/ईट भट्टा-374/का0ब0नो0-ई0सी0/बलिया/2024 दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टा संचालित किये जाने फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 04.03.2024 से 01.04.2024 तक कुल 29 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु ईट भट्टे के विरुद्ध रू0 1,81,250/- (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से राज्य बोर्ड को उत्तर प्रेषित किया गया है जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....2. मेरे द्वारा बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया गया था।

3. मेरी तबियत ठीक न रहने के कारन ईट भट्टे का संचालन नहीं किया गया तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 63450/सी0-6/सा0-632 /ईट भट्टा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

4. तथा दिनांक 01.04.2024 को प्रशासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ द्वारा ईट भट्टे को बन्द करा गया है तब से ईट भट्टा का संचालन पूर्णतः बन्द है।....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Email Sent
07 April 2025

यह कि आप द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.03.2025 के वर्णित तथ्यों के सत्यता संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं प्रत्यावेदन से स्पष्ट है कि आप द्वारा उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 04.03.2024 से 01.04.2024 तक राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। अतः आपका प्रत्यावेदन बलहीन एवं अंसतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2025 की पुष्टि करते हुए ईट भट्टा मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्टा, ग्राम व पोस्ट-साहूडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,81,250/- (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्टा मेसर्स घनश्याम सिंह ईट भट्टा, ग्राम व पोस्ट-साहूडीह, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,81,250/- (रू0 एक लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Air Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

176

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. M26704 / वृत्त-6 / ईट भट्टा-376 / का0ब0नो-ई0सी0 / बलिया / 2024

Date 4-4-25

मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज,
बड़सरी, बांसडीह,
जनपद-बलिया। (मो0-9415865130)

यह कि मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns....."

".....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच. 24185/वृत्त-6/ईट भट्टा-374/का0ब0नो-ई0सी0/बलिया/2024 दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टा संचालित किये जाने फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 16.02.2021 से 20.07.2023 एवं 04.03.2024 से 25.04.2025 तक कुल 550 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु ईट भट्टे के विरुद्ध रू0 34,37,250/- (रू0 चौतिस लाख सैंतिस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 23.03.2025 के माध्यम से राज्य बोर्ड को उत्तर प्रेषित किया गया है जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....2. मेरे द्वारा बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.02.2021 के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया गया था।

3. बोर्ड में आवेदन करने के पश्चात सहमति नहीं मिलने के कारण मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज का संचालन बन्द है।

4. मेरे द्वारा दिनांक 12.04.2024 को भट्टे का संचालन शुरू किया गया परन्तु बोर्ड के माध्यम से पुनः दिनांक 26.04.2024 को मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज को बन्द करा दिया गया।....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

E-mail Sent
07 April 2025

यह कि आप द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23.03.2025 के वर्णित तथ्यों के सत्यापन संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं प्रत्यावेदन से स्पष्ट है कि आप द्वारा उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 16.02.2021 से 20.07.2023 एवं 04.03.2024 से 25.04.2025 तक राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। अतः आपका प्रत्यावेदन बलहीन एवं अंसतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2025 की पुष्टि करते हुए ईट भट्टा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 34,37,250/- (रू0 चौतिस लाख सैंतिस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्टा मेसर्स यू0एस0 इण्टरप्राइजेज, बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 34,37,250/- (रू0 चौतिस लाख सैंतिस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- **Air Pollution**

EC imposed in compliance- **NGT Order**

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.....1126702

/वृत्त-6/ ईट भट्टा-375/का0ब0नो-ई0सी0/बलिया/2024

Date.....4-4-25

मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्टा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्टा),
बड़सरी, बांसडीह,
जनपद-बलिया। (मो0-9450773980)

यह कि मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्टा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्टा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी एवं बालू का प्रयोग कर ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से आदेश निर्गत करते हुये उक्त ओए निस्तारित की गयी है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....10. Hence, we dispose of the OA permitting the UPPCB to initiate the action against the above 6521 brick kilns for imposition of environmental compensation for their past illegal operation. The UPPCB will complete the said exercise leading to passing of the final order of imposition of environmental compensation within six months and will submit the 4 action taken report before the Registrar General of this Tribunal on 01.02.2025 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be placed before the Bench for further consideration."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारधीन एम0ए0 संख्या-88/2024 के साथ ओ0ए0 संख्या-651/2023 कृष्णा नन्द यादव बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....7. If the brick kilns are operating in the ESZ area then a presumption is attached that mining is also continuing in that area for the supply of raw materials to the brick kilns....."

.....9. In the meanwhile, the Member Secretary, UPPCB, will ensure that no brick kiln in ESZ operates in violation of the laws and will disclose in the next affidavit the action taken against the brick kilns operating in violation of the law in ESZ area....."

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-309/2022 रामभरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच. 24184/वृत्त-6/ईट भट्टा-375/का0ब0नो-ई0सी0/बलिया/2024 दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टा संचालित किये जाने फलस्वरूप उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 04.03.2024 से 25.04.2024 तक कुल 53 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु ईट भट्टे के विरुद्ध रू0 3,31,250/- (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्टे द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20.03.2025 के माध्यम से राज्य बोर्ड को उत्तर प्रेषित किया गया है जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....महोदय को अवगत कराना है कि मैं अपना ईट भट्टा संचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था जो आपके पोर्टल पर प्रदर्शित है, परन्तु मेरा आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया। मेरा ईट भट्टा इको सेन्सेटिव जोन सुरहा ताल बलिया से बाहर है।

मैं अपना ईट भट्टा का संचालन नवरात्रि यानि दिनांक 17.04.2024 से प्रारम्भ किया गया है। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ के अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2024 को हमारे ईट भट्टा का निरीक्षण किया गया था। तत्समय में हमारा ईट भट्टा, कच्ची ईट की पथायी एवं साफ-सफाई हेतु चल रही थी। तत्समय में हमारे चिमनी में आग प्रज्वलित नहीं थी।....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Handwritten note: 27 April 2025

यह कि आप द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 20.03.2025 के वर्णित तथ्यों के सत्यापन संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं प्रत्यावेदन से स्पष्ट है कि आप द्वारा उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 04.03.2024 से 25.04.2024 तक राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। अतः आपका प्रत्यावेदन बलहीन एवं अंसतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2025 की पुष्टि करते हुए ईट भट्टा मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्टा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्टा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 3,31,250/- (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्टा मेसर्स काशीनाथ यादव ईट भट्टा (पूर्वनाम मेसर्स आर0एस0 ईट भट्टा), बड़सरी, बांसडीह, जनपद-बलिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के फलस्वरूप रू0 3,31,250/- (रू0 तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Air Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त-6)